प्रेस नोट

दिनांक 22.08.2019 थाना मलपुरा जनपद आगरा।

चारा लेने गयी महिला के साथ जानलेवा हमलाकर लूट करने वाले अभियुक्त को थाना मलपुरा पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, तथा लूटे हुए कुण्डल बरामद।

दिनांक 19.08.2019 को ग्राम सहारा में स्थित खेतों पर एक 50 वर्षीय महिला के सिर में वसूली से प्रहार कर जानलेवा हमला करते हुए उसके कानों के कुंडलों को खींच कर लूटकी घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना मलपुरा जनपद आगरा पर मुकदमा अपराध संख्या 452/2019 धारा 307 भा.द.वि. बनाम अभियुक्त उमेश पुत्र लोकेंद्र सिंह निवासी सहारा थाना मलपुरा जनपद आगरा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी एवं क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मलपुरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.08.2019 को सूचना संकलन के माध्यम एवं मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए कानों के कुंडल पीली धातु के बरामद किए गए।

उक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भा.द.वि. का लोप करते हुए धारा 394 भा.द.वि. की वृद्धि की गई। व अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर धारा 411 भा.द.वि. की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे ऊपर ₹6000/–का कर्जा हो गया था जिसको चुकाने के लिए मैंने गांव के ही वृद्ध महिला पर वसूली से प्रहार कर उसके कानों के कुंडलों को खींचकर लूटने की घटना को अंजाम दिया था।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–**

01. उमेश पुत्र लोकेंद्र सिंह निवासी सहारा थाना मलपुरा जनपद आगरा।

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. दो अदद कुण्डल पीली धातु।

- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–**

01. थानाध्यक्ष महेश सिंह थाना मलपुरा जनपद आगरा।
02. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी मिढ़ाकुर थाना मलपुरा जनपद आगरा।
03. है0कां0 चालक दिनेश कुमार, कां0 3546 विपिन कुमार, कां0 4121 अरविन्द कुमार।

मीडिया सेल आगरा पुलिस।